



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092023-249077
CG-DL-E-30092023-249077

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4084]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 29, 2023/आश्विन 7, 1945

No. 4084]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2023/ASVINA 7, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2023

का.आ. 4255(अ).—जबकि केंद्र सरकार का यह मत है कि विस्फोटक, नामतः इलेक्ट्रिक डेटोनेटर (क्लास 6 डिविजन 3 अथवा यू एन क्लास 1 डिविजन 1 का विस्फोटक) खतरनाक प्रकृति का है;

और जबकि इलेक्ट्रिक डेटोनेटर (क्लास 6 डिविजन 3 अथवा यू एन क्लास 1 डिविजन 1 का विस्फोटक) के विनिर्माण, कब्जे और आयात पर प्रतिबंध लगाना सुरक्षा चिंताओं और सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनजर यह आवश्यक है;

और जबकि केंद्र सरकार ने, विस्फोटक उद्योग के हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद, सार्वजनिक हित में यह निर्णय लिया है कि उक्त विस्फोटक के उत्पादन को वित्तीय वर्ष 2024-2025 के अंत तक चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह बंद कर दिया जाए;

अतः, अब, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा पूरे देश में इलेक्ट्रिक डेटोनेटर (क्लास 6 डिविजन 3 अथवा यू एन क्लास 1 डिविजन 1 का विस्फोटक) के विनिर्माण, कब्जे और आयात पर 1 अप्रैल, 2025 से प्रतिबंध लगाती है।

[फा.सं. पी-13015/45/2021-विस्फोटक-पार्ट (1)]

राजीव सिंह ठाकुर, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2023

S.O. 4255(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that the explosive, namely, electric detonator (explosive of Class 6 Division 3 or U N Class 1 Division 1) is of a dangerous character;

And whereas it is expedient for the security concerns and public safety to prohibit the manufacture, possession and import of electric detonator (explosive of Class 6 Division 3 or U N Class 1 Division 1);

And whereas the Central Government, after consultation with stakeholders of explosives industry, in the public interest has decided that the production of the said explosive shall be completely phased out by the end of financial year 2024-2025;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 6 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby prohibits the manufacture, possession and import of the electric detonator (explosive of Class 6 Division 3 or UN Class 1 Division 1) throughout the country with effect from the 1st day of April, 2025.

[F. No. P-13015/45/2021-EXPLOSIVE-Part(1)]

RAJEEV SINGH THAKUR, Additional Secy.